# कार्यालयः– जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

## अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 01/2021–22

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड राँची के पत्रांक 648/दिनांक 21/05/2021 के आलोक में वर्ष 2021–22 में तालाब एवं जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अन्तर्गत जिला पलामू में भारतीय मेजर कार्प मत्स्य स्पॉन, फाईकैंचिंग नेट/जाल, फार्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड एवं मैश फीड की आपूर्ति हेतु हैचरी संचालक मत्स्य स्पॉन उत्पादक सह आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

| क्र0 | सामग्री का नाम | अधिकतम दर राशि |
|---|---|---|
| 1 | मत्स्य स्पॉन | **550/– प्रति लाख** |
| 2 | मैश फीड<br>Extruded Mash Feed. | **60/– प्रति किलो0** |
| 3 | फाईकैचिंग नेट/चटजाल | **2000/– रू0 प्रति इकाई** |
| 4 | फार्मुलेटेड फ्लोटिंग फीड<br>(2mm एवं 4mm) | **50/– रू0 कि0लो0** |

**निविदा की अहर्त्ताएँ निम्नलिखित है :–**

1. निविदादाता का नाम – जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।
2. निविदा की राशि – 47 लाख (अनुमानित) एवं फार्मुलेटेड फिश फीड का राशि – 850 लाख रू0 मात्र (अनुमानित)
3. स्पॉन का अग्रधन राशि – 100000/–,फीड का अग्रधन राशि– 22200/– एवं जाल का अग्रधन राशि 22200/– रू0 मात्र (क्र0 01 में वर्णित नाम से पलामू डालटनगंज में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट)
4. निविदा प्रपत्र प्राप्ति का स्थान – जिला मत्स्य कार्यालय, पलामू।
5. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय – 11/06/2021 एवं 12 बजे पूर्वाह्न तक
6. निविदा खुलने की तिथि एवं समय – 11/06/2021 एवं 02 बजे अपराह्न
7. निविदा की विस्तृत शर्ते www.palamu.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पटट पर देखा जा सकता है।
8. दिनांक 11/06/2021 को अपराह्न 02 बजे, उपायुक्त, पलामू द्वारा गठित समिति के समक्ष निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू के कार्यालय कक्ष में निविदा खोली जायेगी।**

(हस्ताक्षर) 28/5/21

उप विकास आयुक्त,
पलामू।

# कार्यालयः– जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

## अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा की शर्ते :–

1. स्पॉन आपूर्तिकर्त्ता के पास मत्स्य हैचरी होना चाहिए।
2. हैचरी का सरकारी निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्त्ताओं को अपनी मत्स्य हैचरी का विवरण एवं उपलब्ध ब्रूडर का आँकड़ा प्रजातिवार व अनुपात में देना अनिवार्य होगा।
4. स्पॉन आपूर्तिकत्ताओं को मत्स्य हैचरी का प्रतिचरण स्पॉन उत्पादन की क्षमता को उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन में कम से कम 40प्रतिशत कतला, 30प्रतिशत रेहु, 30प्रतिशत मृगल मत्स्य स्पॉन होना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का न्यूनतम पाँच वर्षो का अनुभव एवं ब्यौरा, पहचान पत्र, पैन नं0 एवं जी0एस0टी0 नं0 की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन (2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनवार्य है।
8. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 100000 (एक लाख) रूपये मात्र का बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से पलामू में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. स्पॉन की आपूर्ति पॉलिथीन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय या अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डों में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ्य अवस्था में पहुँचा कर करना होगा।
10. प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से वितरण स्थल की दूरी के अनुसार होगी, जिससे स्पॉन की उत्तरजीविता बनी रहे। प्रति पॉलिथिन बैग में अधिकतम 50000 (पचास हजार) स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जायेगी। स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
11. स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 60 घंटा बाद गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप तय समय सीमा के अंदर जीवित एवं स्वस्थ्य अवस्था में पहुँचा कर देना होगा। गुणवत्ता के मापदण्डों के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
12. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
13. मत्स्य स्पॉन आपूर्ति की दर (परिवहन एवं पैकेजिंग शुल्क सहित) अधिकत्तम 550/– (पाँच सौ पचास) रूपये प्रति लाख होगा।
14. निविदादाता को अनिवार्य रूप से तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अगल–अलग सील बंद लिफाफे में तकनीकी और वित्तीय निविदा उनके उपर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा के बक्से में डालनी होगी।
15. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गई विवरणी असत्य एवं भ्रामक पाये जाने की स्थिति में निविदादाता को काली सूची में रखते हुए दिये गये निविदा को रद् कर दी जायेगी।
16. तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी एवं उसपर विचार किया जायेगा अन्यथा उनकी निविदा अयोग्य करार कर दिया जायेगा।
17. निविदादाता को काली सूची में नही होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
18. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः– **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू/दि0. 11/06/2021 अपराह्न 02 बजे होगा।**
19. किसी तरह का विवाद का निपटारा, पलामू, जिला न्यायालय के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
20. बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी के पास निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

28/5/21

उप विकास आयुक्त,
पलामू।

# कार्यालयः– जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

## अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा की शर्ते :–

1. फ्राई कैचिंग नेट/जाल नॉयलोन धागे की होनी चाहिए।
2. निविदा में आपूर्ति की जाने वाली फ्राई कैचिंग नेट/जाल का नमूना संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. वर्ष 2020–21 में सफल निविदादाता जो पूर्ण आपूर्ति करने में असफल हुए को वर्ष 2021–22 के निविदा में शामिल नही हो सकेगा।
4. निविदादाता के L-1 दर होने के बावजूद कंडिका–02 का अहर्त्ता नहीं रखने पर L-2 घोषित नहीं किया जाएगा।
5. निविदादाता को जाल का दर (GST एवं परिवहन सहित) प्रति मीटर लम्बाई की दर से अंकित करना होगा।
6. जाल की न्यनतम चौड़ाई 15 (पन्द्रह) फीट अनिवार्य है।
7. निविदादाता को GST, पैन एवं आयकर रिर्टन (2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 22,200/– (बाईस हजार दो सौ) रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया गया हो एवं अधोहस्ताक्षरी के नाम से पलामू में भुगतेय हो, रखा जायेगा।
9. निविदा के साथ सरकारी क्षेत्र में फ्राई कैचिंग नेट (जाल) आपूर्ति से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. जाल की आपूर्ति गुणवत्ता के अनुरूप नही किये जाने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी तथा उक्त दर पर द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा।
11. निविदादाता को अनिवार्य रूप से तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अगल–अलग बंद लिफाफे में "तकनीकी या वित्तीय निविदा" उनके उपर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा के बक्से में डालनी होगी। मात्र एक निविदा या दोनो (वित्तिय एवं तकनीकी) निविदा एक ही लिफाफे में होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
12. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः– **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू/दि0. 11/06/2021 अपराह्न 02 बजे।** निविदादाता चाहे तो स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
13. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
14. विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तरण, पलामू जिले के न्यायालय क्षेत्र में ही मान्य होगा।

28/5/21

उप विकास आयुक्त,
पलामू।

# कार्यालयः— जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

## अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

निविदा की शर्ते :—

1. निविदादाता को निविदा के साथ Extruded Mash Feed की भौतिक तथा रसायनिक संरचना यथा साईज, प्रोटीन की मात्रा (%में), वसा की मात्रा (%में), फाईबर की मात्रा (%में), विटामिन का प्रकार, मिनिरल मिक्चर का प्रकार, नमी की मात्रा (%में) आहार सपरिवर्तन दर (FCR) Low एवं सेल्फ—लाइफ अधिक होना चाहिए।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत Extruded Mash Feed का प्रस्तुत नमूना का भौतिक एवं रसायनिक संरचना तथा साईज स्पॉन के मुँह के बराबर होना आपेक्षित है।
3. वर्ष 2020—21 में सफल निविदादाता जो पूर्ण आपूर्ति करने में असफल हुए को वर्ष 2021—22 के निविदा में शामिल नही हो सकेगा।
4. निविदादाता के L-1 दर होने के बावजूद कंडिका—02 का अहर्त्ता नहीं रखने पर L-2 घोषित नहीं किया जाएगा।
5. निविदादाताओं की पैन नम्बर की अथिप्रमाणित छायाप्रति एवं वाणिज्यकर का पंजीकरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। (PAN Card & IT. Return (2016—17, 2017—18, 2018—19, 2019—20 एवं 2020—21) का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
6. पूर्व में झारखण्ड, सरकार के सरकारी कार्यालय में फीड आपूर्ति का 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
7. निविदा के साथ सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सामग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत कैमिकल एनालिसिस प्रमाण—पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ISO Certified Company का होना चाहिए। एवं Extruded Feed होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में Raw Dust नही होना चाहिए। Feed Company को Best Aquaculture Certificate (BAP) Certified होना चाहिए।
8. निविदा दो लिफाफा में प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखे जायेगें तथा दूसरे लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। निविदाताओं को निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 22,200/— (बाईस हजार दो सौ) रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया गया हो एवं अधोहस्ताक्षरी के पदनाम नाम से पलामू में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
9. सफल निविदादाता को आहार की आपूर्ति गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहुँचकर करनी होगी। गुणवत्ता के मानदण्डो के अनुसार आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायालय में किसी वाद का दावा नही किया जा सकेगा।
11. निविदादाता को काली सूची में नही होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
12. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः— **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू/दि0. 11/06/2021 अपराह्न 02 बजे होगा।** निविदादाता चाहे तो स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
13. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
14. विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तरण, पलामू जिले के न्यायालय क्षेत्र में ही मान्य होगा।

उप विकास आयुक्त,
पलामू।

(18)

# कार्यालयः– जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पलामू।

## अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

**निविदा की शर्तें :–**

1. निविदादाता को निविदा के साथ Formulated Floating Fish Feed (2mm & 4mm) की भौतिक तथा रसायनिक संरचना यथा साईज, प्रोटीन की मात्रा (%में), वसा की मात्रा (%में), फाईबर की मात्रा (%में), विटामिन का प्रकार, मिनिरल मिक्चर का प्रकार, नमी की मात्रा (%में) आहार सपरिवर्तन दर (FCR) Low एवं सेल्फ–लाइफ अधिक होना चाहिए।
2. वर्ष 2020–21 में सफल निविदादाता जो पूर्ण आपूर्ति करने में असफल हुए को वर्ष 2021–22 के निविदा में शामिल नही हो सकेगा।
3. निविदादाता के L-1 दर होने के बावजूद कंडिका–02 का अहर्त्ता नहीं रखने पर L-2 घोषित नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाताओं की पैन नम्बर की अथिप्रमाणित छायाप्रति एवं वाणिज्यकर का पंजीकरण की अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। (PAN Card & IT. Return (2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
5. पूर्व में झारखण्ड, सरकार के सरकारी कार्यालय में फीड आपूर्ति का 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
6. निविदा के साथ सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सामग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत कैमिकल एनालिसिस प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। ISO Certified Company का होना चाहिए। Feed Company को Best Aquaculture Certificate (BAP) Certified होना चाहिए।
7. निविदा दो लिफाफा में प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखे जायेगें तथा दूसरे लिफाफे में तकनीकी प्रस्ताव अंकित किया जायेगा। निविदाताओं को निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 22,200/– (बाईस हजार दो सौ) रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी किया गया हो एवं अधोहस्ताक्षरी के पदनाम नाम से पलामू में भुगतेय हो, संलग्न करना होगा।
8. सफल निविदादाता को आहार की आपूर्ति गुणवत्ता आधारित मानकों के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहुँचकर करनी होगी। गुणवत्ता के मानदण्डो के अनुसार आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
9. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश सामग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायालय में किसी वाद का दावा नही किया जा सकेगा।
10. निविदादाता को काली सूची में नही होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
11. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समयः– **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू/दि0. 11/06/2021 अपराह्न 02 बजे होगा।** निविदादाता चाहे तो स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
12. विभाग हित में निविदा की शर्तो में बिना कारण बताए किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
13. विवाद की स्थिति में विवाद का निस्तरण, पलामू जिले के न्यायालय क्षेत्र में ही मान्य होगा।

28/5/21

उप विकास आयुक्त,
पलामू।